अध्याय 5 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

5.1 प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय अन्वेषण एवं उत्पादन कारोबार में भागीदार संयुक्त प्रचालन करार में भागीदार की लेखापरीक्षा के विशेष प्रावधान सुनिश्चित करने के माध्यम से अपने वित्तीय तथा गैर वित्तीय हितों की सुरक्षा करते हैं। कम्पनी ने भी जेवी या अपनी सहायक जेवी के माध्यम से प्राप्त ईएण्डपी परिसम्पत्तियों के संबंध में इसका अनुपालन किया।

कुल मिलाकर कम्पनी द्वारा या तो निगमित या अनिगमित जेवी या अपनी सहायक जेवी के माध्यम से उच्च जोखिम तथा लागत वाली कुल मिलाकर 29 ईएण्डपी परिसम्पत्तियां प्राप्त की गई थी और स्वयं द्वारा या अपनी सहायक कम्पनी के माध्यम से 100 प्रतिशत पण के साथ 16 ईएण्डपी परिसम्पत्तियां प्राप्त की गई थीं। चूंकि कम्पनी इन सभी मामलो में एक प्रचालक नहीं है, अतः उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रचालक का निर्णय सरकार/अन्य एजेंसियों द्वारा नियत बृहत प्राचलों के अनुरूप नहीं है तथा परिसम्पत्तियां जेवी के माध्यम से अधिग्रहीत की जाती हैं। अतः इस व्यवस्था के लिए आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को सख्त होना चाहिए तथा संव्यवहारों/प्रचालनों पर अन्तर्निर्मित जांच तथा शेष होने चाहिएं। अतः संयुक्त प्रचालन करारों में परिभाषित भागीदारों की लेखापरीक्षा के अधिकारों, शक्तियों एवं आवधिकता का कम्पनी द्वारा उसके आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग अथवा एक बाह्य एजेंसी द्वारा समय पर तथा प्रभावी रूप से प्रयोग होना चाहिए। चूंकि कम्पनी अधिकांश ईएण्डपी परिसम्पत्तियों में गैर प्रचालक थी और प्रचालक के निर्णय पर निर्भर थी इसलिए प्रचालक द्वारा एक पक्षीय अविवेकी निर्णयों से होने वाली हानियों का जोखिम था। इसलिए अपने हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से कम्पनी की प्रमुख जोखिमों की पहचान करने और कार्यान्वयन तथा समीक्षा, उनको कम करने की योजना तथा मानीटरिंग की एक प्रणाली होनी चाहिए।

मत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2010) कि मै. केपीएमजी तथा ओवीएल टीम की सहायता से मूल कारणों तथा न्यूनीकरण कारणों सहित दस जोखिमों को शामिल करते हुए एक जोखिम राजिस्टर का संकलन किया गया था।

हम मंत्रालय के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कागज़ों के अनुसार, जबकि कम्पनी ने केवल जोखिम तथा न्यूनीकरण कारणों की पहचान की थी; तथापि कार्य योजना तथा उसके कार्यान्वयन लक्ष्य नहीं बनाए गए थे।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में लेखापरीक्षा में देखी गई अपर्याप्तताओं की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है। अपर्याप्तताओं के कारण अनियमितताओं का समय पर पता नहीं चला और परिणामतः, संशोधक कार्रवाई में विलम्ब हुआ।

5.2 जोखिम न्यूनीकरण योजना न बनाना

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने ₹ 52,491.90 करोड़ के कुल निवेश का उच्च जोखिम एवं पूंजीगत गहन विदेशी अन्वेषण एवं उत्पादन कारोबार में होने के बावजूद कोई जोखिम न्यूनीकरण योजना नहीं बनाई थी (अगस्त 2010)।

5.3 भागीदारों के लेखापरीक्षा अधिकारों का समय पर प्रयोग न करना

25 ईएण्डपी परिसम्पत्तियों, जहां कम्पनी गैर/संयुक्त प्रचालक थी, के संबंध में भागीदारों के विवरण की समीक्षा से पता चला कि 11 ईएण्डपी परिसम्पत्तियों में भागीदारों की लेखापरीक्षा करने में एक से तीन वर्ष का औसत विलम्ब था, यद्यपि जेओए में भागीदारों की लेखापरीक्षा के लिए सुपरिभाषित प्रावधान तथा आवधिकता थी।

ब्लॉक 6 मिश्र में, हमने देखा कि कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षा करने में विलम्ब के मुख्य कारण प्रचालक की असहयोगी प्रवृत्ति तथा उसके संविदात्मक अधिकारों का प्रयोग करने में विफलता थे। लेखापरीक्षकों द्वारा 31 दिसम्बर 2008 को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के ड्राफ्ट विवरण के विश्लेषण से पता चला कि संयुक्त प्रचालनों के लिए आईपीआर ऊर्जा (संयुक्त उद्यम भागीदार) का अंशदान उसकी भागीदारी के अनुपात में नहीं था।

- कम्पनी ने अपने 34.78 मिलियन अमरीकी डालर के हिस्से के प्रति 40.94 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया जिसके कारण 6.16 मिलियन अमरीकी डॉलर का अधिक निधियन हुआ।
- 2008 के दौरान, आईपीआर एनर्जी ने संयुक्त उद्यम खाते में से 1.91 मिलियन अमरीकी डालर, कम्पनी को बताए बिना अपनी विभिन्न सम्बद्ध कम्पनियों को आन्तरित किए।
- इजिप्शियन जनरल पेट्रोलियम कार्पोरेशन (ईजीपीसी), मिश्र ने संयुक्त उद्यम द्वारा वहन की गई 9.89 मिलियन अमरीकी डालर की लागत की प्रतिपूर्ति रद्द कर दी क्योंकि वह उनके अनुमोदन के बिना अथवा ईजीपीसी के पास भूकम्पी ठेकेदार के पंजीकरण के बिना वहन की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2010) कि भागीदारों की लेखापरीक्षा का समय परियोजना में कार्यकलापों के स्तर, किए गए व्यय की भौतिकता, लेखापरीक्षा विंडो की उपयुक्तता की अन्य गैर प्रचालक पार्टियों को धारणीयता आदि के आधार पर निश्चित किया जाता है।

मंत्रालय ने यह भी बताया (अक्तूबर 2010) कि उपर्युक्त पैरे में दर्शाई गई आपत्तियां प्रचालक के साथ उठाई गई थी।

निष्कर्षतः तथ्य यह है कि भागीदारों की लेखापरीक्षा सदैव वित्तीय पहलुओं पर नहीं होती तथा कई बार गैर-वित्तीय निर्णयों से संबंधित अनियमितताएं भी परियोजना प्रचालन को प्रभावित करती हैं। इसलिए पणधारियों को आश्वासन प्रदान करने के लिए नियमित लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। हमारे तकनीकी विशेषज्ञों का भी यही मत है कि भागीदारों की लेखापरीक्षा करने के लिए समयावधि नियत की जानी चाहिए।

5.4 वित्तीय नियंत्रण

- **अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण**

  वर्ष 2009-10 के लिए कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच से पता चला कि एसएपी में दिए गए आंकड़े या तो "शून्य" थे अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट से अधिक अथवा कम थे जो एसएपी में बजट की गलत प्रतिचित्रण को दर्शाता है जिसमें अधिक भुगतान जारी करने अथवा भुगतान को अनावश्यक रूप से अस्वीकृत करने का जोखिम था।

- **वित्तीय अनुमोदन से अधिक भुगतान जारी करना**

  कम्पनी की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन ₹ 300 करोड़ या 75 मिलियन अमरीकी डालर, जो भी कम हो, तक परियोजना वार निवेश की संस्वीकृति/अनुमोदन की बोर्ड को शक्ति देता है।

  - ब्लॉक-5बी सूडान में बोर्ड ने अनुमोदन की तारीख तक पहले ही किए गए 47.53 मिलियन अमरीकी डालर के व्यय की अनदेखी कर 56.94 मिलियन अमरीकी डालर का योजनागत व्यय अनुमोदित किया और सीसीईए का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹ 300 करोड़ के अतिरिक्त ₹ 48.71 करोड़ जारी भी कर दिए।
  - ब्लाक 279 नाइजीरिया में टोटल (फ्रेंच ऑयल कम्पनी) तथा शैल को आंशिक पण के प्रत्याशित स्थानान्तरण पर 96.90 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय वचनबद्धता निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2010) कि ओवीएल द्वारा कुल निवेश ब्लाक 5बी सूडान में सुरक्षा स्थिति में अवनति के कारण बोर्ड की प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक हो गया। अनियमितता के जानकारी में आने के बाद उसमें बोर्ड, ईसीएस तथा सीसीईए द्वारा संगत तथ्य प्रकट करके सुधार किया गया था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (अक्तूबर 2010)।

हम मंत्रालय के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि परवर्ती सुधार की प्रणाली से विषय पर विचार विमर्श से न केवल ईसीएस तथा सीसीईए वंचित रह गए अपितु उसका अनुमोदन करने के लिए उन्हें बाध्य भी किया। इसके अलावा उपर्युक्त दृष्टान्त कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के सूचक हैं।

हमारे तकनीकी सलाहकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमति जताते हुए विचार व्यक्त किया कि ऐसी घटनाओं का परिहार करने के उद्देश्य से प्रचालन केन्द्र पर बहु स्तर नियंत्रण के साथ सुदृढ़ निगरानी प्रणाली होनी चाहिए।

5.5 आपदा समुत्थान योजना और/अथवा कारोबार निरन्तरता योजना का अभाव

कम्पनी के पास आपदा स्थिति के प्रति अनुक्रिया दिखाने में समर्थ करने के लिए कोई प्रलेखित आपदा समुत्थान योजना (डीआरपी) और/अथवा कारोबार निरन्तरता योजना (बीसीपी) नहीं है। प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारोबार व्यवधान होने पर एक व्यापक कारोबार निरंतरता योजना/आपदा समुत्थान योजना योजनाबद्ध तरीके में अपने प्रचालनों को जारी रखने/करने के लिए कम्पनी की सहायता करेगी और यथोचित समय अवधि के भीतर आईटी सिस्टम का समय से पुनर्लाभ सुनिश्चित करेगी। कारोबार निरंतरता योजना/आपदा समुत्थान योजना के अभाव से क्षति नियंत्रण प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है जिससे ग्राहक प्रचालनों में और प्रचालन सार्थक विघ्न से कारोबार और राजस्व की हानि हो सकती है।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2010) कि कम्पनी अपना कारोबार लेन-देन एसएपी के माध्यम से चलाती है जिसे आपदा समुत्थान केन्द्र, बड़ौदा के साथ ओएनजीसी डॉटा केन्द्र, दिल्ली द्वारा होस्ट किया जाता है।

तथ्य यह है कि कम्पनी की अपनी प्रलेखित आपदा वसूली/कारोबार निरंतरता योजना नहीं है।

संक्षेप में, उच्च एवं पूँजी प्रबलित कारोबार मे होने के बावजूद कम्पनी एक जोखिम प्रशमन योजना का प्रतिपादन नहीं कर सकी और भागीदार की समय से लेखापरीक्षा करने में भी विफल रही जिसके परिणामस्वरूप कई अनियमितताएँ प्रबन्धन के ध्यान में नहीं आयीं/कार्रवाई से रह गईं। सभी त्रुटियाँ प्रलेखित जोखिम प्रशमन योजना की कमी और सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव से हो सकी थीं।

सिफारिशें # 3

कम्पनी की 16 देशों में विद्यमानता तथा गैर-प्रचालक के रूप में महत्त्वपूर्ण निवेश के दृष्टिगत उसे अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा नियंत्रण प्रणाली को मज़बूत करना चाहिए तथा संयुक्त उद्यमों की लेखापरीक्षा के लिए समय पर लेखापरीक्षा प्रबंध करने चाहिएं।

두 성

अध्याय

6

निष्कर्ष एवं सिफारिशें